न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 173/2021

प्रार्थीनीः—

पांचीदेवी पत्नी तगाराम जाति सरगरा निवासी रामदेव नगर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1 घेवरराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :— **1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. विप्रार्थीगण इकबाली जबाब

—: आदेश :—

दिनांक :— 04-02-2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1338/30 रकबा 01.4568 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा रामदेवनगर पटवार क्षेत्र कुसीप में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीनी के खेत के बदिशा पश्चिम दिशा में स्थित विप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 1333/27,1335/28,1337/29 व 1339/30 मे से होते हुऐ रामदेव नगर गांव से कटाण सडक से जुडता है जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' पेश किया है प्रार्थीनी के खेत से सडक मार्ग तक आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खेत की पश्चिमी माठ पर अवस्थित प्रचलित रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीनी ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीनी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर स[illegible] तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस [illegible] नहीं है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण उक्त प्रचलित [illegible] एवं बाड [illegible] रास्ता अवरूद्ध कर देता है। जिससे प्रार्थीनी के आने-जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्राथीर्नी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीनी द्वारा मागे गये रास्ते बाबत अपने खातेदारी खेत मे से दिये जाने बाबत बिना प्रतिफल राशि लिये प्रार्थीनी को रास्ते अपने खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

मे से प्रदान किये जाने बाबत सहमति व स्वीकृति पत्र पेश की है जो पत्रावली के संलग्न है । मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 20.01.2022 जरिये पत्रांक राजस्व/2022/87 दिनांक 28.01.2022 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1333/27,1335/28,1337/29 व 1339/30 में आवगमन हेतु चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया गया । मौका फर्द पर पक्षकरान द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

हमने प्रार्थीनी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीनी वकील ने निवेदन किया विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1333/27 रकबा 0.3400 हेक्टयर, खसरा संख्या 1335/28 रकबा 0.161874 हैक्टयर, खसरा संख्या 1337/29 मे से 0.0620 हैक्टयर राज्य सरकार के पक्ष में बिना प्रतिफल लिये रास्ते हेतु 0समर्पण दौराने प्रार्थना पत्र विचारण कर दिया गया है, व विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 1339/30 में प्रार्थीनी को आवगमन व कृषि कार्य हेतु बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान लिखित मे अज अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । प्रार्थीनी के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए एंव विप्रार्थीगण के सहमति के आधार पर प्राथीर्नी का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदार खेत खसरा संख्या 1338/30 सरहद मौजा रामदेवनगर पटवार मण्डल कुसीप में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये रास्ता विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 1339/30 में से 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थीनी को प्रस्तावित रास्ता निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

उक्त नया 13 फीट के रास्ता मे सम्मिलित होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और यह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।प्रार्थीनी को इस प्रकार 13 फीट चौडे भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकारी अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एंव नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022/87

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28.01.2022 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। **चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया रास्ता जरिये राजीनामा बिना प्रतिफल के विप्रार्थीगण देने हेतु सहमत है इसलिए विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।**

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 4/2/2022 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 06/1?/2021 04:48:28 PM

नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ"

भू. अ. नि. क्षेत्र : थापन

जिला : बाड़मेर | तहसील : सिवाना

पटवारी हल्का : कुसीप | ग्राम : रामदेवनगर

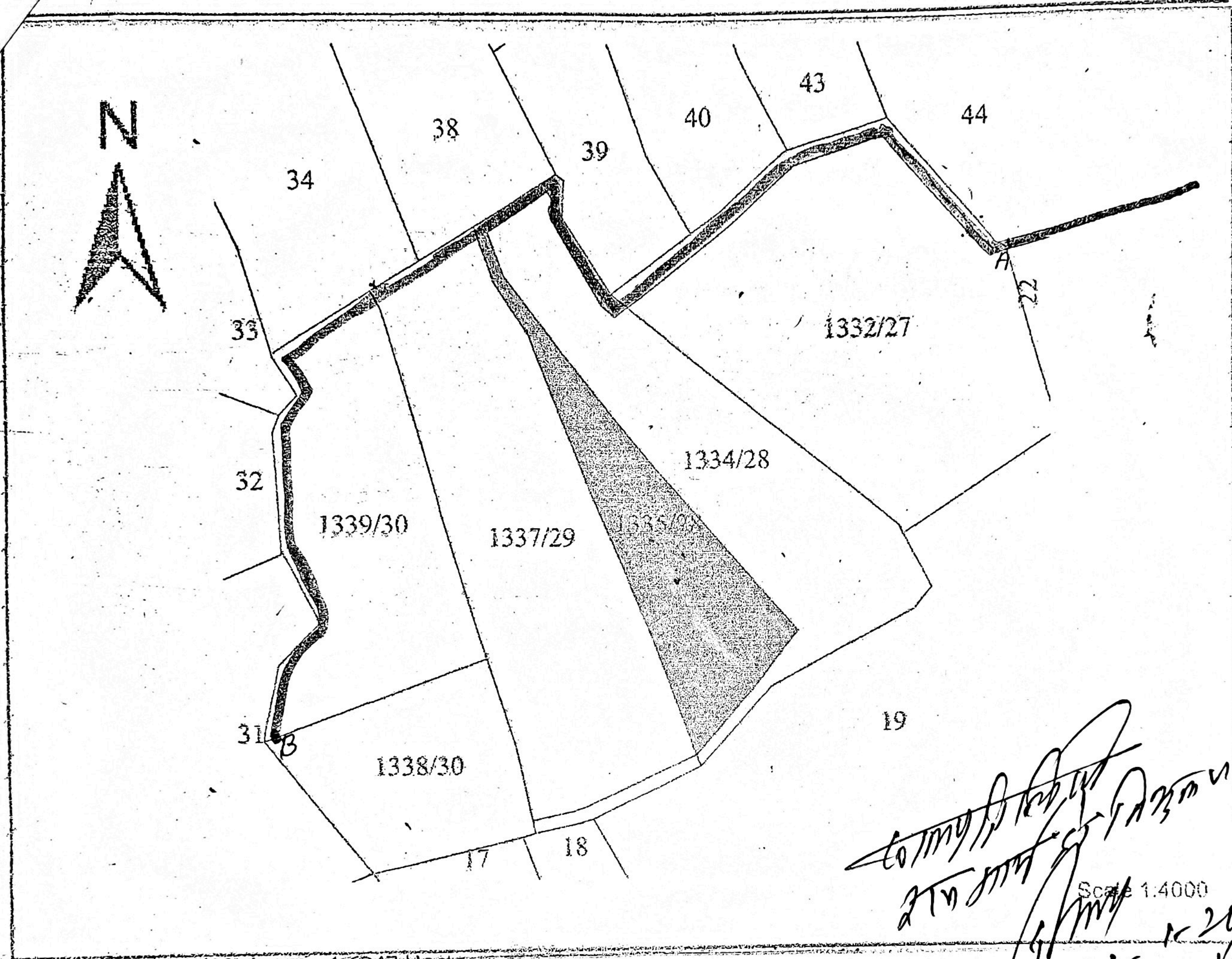

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

धेवरराम

संकेत

( ) मार्क आवेदनकर्ता के खातेदारी खेत ख0न0 1...

(▬) मार्क कटाण मार्ग गांव रामदेव नगर से ... नम्बर 1333 / 27तक जाने वाला रास्ता

(▬) मार्क प्रस्तावित मार्ग A से B

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

11-01-2022

निरीक्षक (भू.अ.) थापन

सत्यापनः- मैं पांचीदेवी पत्नि तगाराम जाति सरगरा निवासी रामदेव नगर उपरोक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट " अ" को स्वीकार कर सत्यापित करती हूँ।